




( 17-00 )

332/RA  
19-1-19

नवल आदेश दिनांक ५-८-१८  
 वादसं २०१८०५६०५०६६८३ बाय  
 ए० ए० सु० २००६ ग्राम कल्याण  
 पुराणा महोना लक्ष्मी वी.के.के.  
 लालनके लान चन्द चैरिहेवाल ए०  
 शंकरानल इस्ट नकाग अस्पार  
 काय भारत या यालय योपलला  
 धिपारि अदि के० ए० लालनके



पोलिपो निरस्त विभागमा  
 नवल आदेश दिनांक ५-८-१८  
 वा पुत्राणित द्वायापुत संलग्न  
 है।







पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साधनों एवं सहस्रीलदार, बख्शी का तालम की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि भूमि खाला सं० 645 की गाटा सं० 1741 रकबा 0.051है०, 2071 रकबा 0.600है०, खाला सं० 1252 गाटा सं० 2084 रकबा 0.262है०, खाला सं० 1251 गाटा सं० 2070 रकबा 0.668है०, खाला सं० 1037 गाटा सं० 2085 रकबा 0.270है०, खाला सं० 669 गाटा सं० 2083 रकबा 0.205है०, खाला सं० 2054 रकबा 0.008है० का 2/3 रकबा 0.00533है० कुल रकबा 2.06133है० स्थिरा ग्राम कठवार परगना महोना तहसील पी०के०डी० जिला लखनऊ में जगन्नाथ चैरिटेबिल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विद्यमान है। लखनऊ द्वारा सहायक राधेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र कर्म प्रकाश पाण्डेय के नाम संकल्पनाय भूमिधर वही है। सक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। खाला में निर्माण कार्य चल रहा है। इस सम्बन्ध में गाटी द्वारा सं० 80 के तौर पर आदेश प्रदान की मूल प्रति सं० 1,27,803/- नौके का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। तब आदेश सं० 41 व 45 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार ग्रहणगत भूमि खाला सं० 645 की गाटा सं० 1741 रकबा 0.051है०, 2071 रकबा 0.600है०, खाला सं० 1252 गाटा सं० 2084 रकबा 0.262है०, खाला सं० 1251 गाटा सं० 2070 रकबा 0.668है०, खाला सं० 1037 गाटा सं० 2085 रकबा 0.270है०, खाला सं० 669 गाटा सं० 2083 रकबा 0.205है० सम्पूर्ण व गाटा सं० 2054 रकबा 0.008है० का 2/3 रकबा 0.00533है० कुल रकबा 2.06133है० गाटी के नाम संकल्पनाय भूमिधर वही है जो खाला सं० 80 संकल्पनाय सहित 2008 के अन्तर्गत संकल्पनाय किया गया है। विधिसंगत प्रतीत होता है अन्तर्गत अनु-अपवर्गित की विधिसंगतता के सम्बन्ध में संकल्पनाय महसूलवली-2021 को उपस्था प्रमाणी होने, जिल्ला सम्बन्ध लखनऊ जिल्ला अधिकारी एवं सहायी निदेशक विनाय सं० 41

**आदेश**

ग्राम कठवार परगना महोना तहसील बख्शी का तालम जिला लखनऊ की खाला की पत्रावली सं० 1422-1427/80 भूमि खाला सं० 645 की गाटा सं० 1741 रकबा 0.051है०, 2071 रकबा 0.600है०, खाला सं० 1252 गाटा सं० 2084 रकबा 0.262है०, खाला सं० 1251 गाटा सं० 2070 रकबा 0.668है०, खाला सं० 1037 गाटा सं० 2085 रकबा 0.270है०, खाला सं० 669 गाटा सं० 2083 रकबा 0.205है० सम्पूर्ण व गाटा सं० 2054 रकबा 0.008है० का 2/3 रकबा 0.00533है० कुल रकबा 2.06133है० महसूलवली 80 के मूल करकी वही प्रणनाय भूमि कृषि संरक्षणालय, कृषि, उद्यान, आगामी अदि के तौर पर आदेश में संकल्पनाय किया जाने के कारण संकल्पनाय सहित-2008 की धारा-80 के अन्तर्गत इस गाटी के संबंध में अधिकृत प्रावधानित की जाती है कि आदेश में यदि खाला भूमि पर कृषि संरक्षणालय, कृषि, उद्यान, आगामी अदि कृषि के सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाना है तो संकल्पनाय सहित की धारा-80 के अन्तर्गत तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करें। आदेश की एक सत्य प्रति जिला तहसीलदार पी०के०डी० की खाला में सन्तुष्ट प्रविधि हेतु प्रेषित हो। तथा एक सत्यप्रति सं० संकल्पनाय सं० 80 के निर्देश के साथ प्रेषित की इस विधिसंगतता के तौर पर आदेश का अनुमति विधिसंगतता के तौर पर आदेश का विवरण व विधिसंगतता संकल्पनाय सं० 80 के तौर पर प्रेषित कर। तब आदेश कार्यवाही पत्रावली वापिस प्रेषित हो।

(सूचीकाया विभागी)

उप जिलाधिकारी / जसिस्ट कलेक्टर - प्रथम श्रेणी  
पी०के०डी० लखनऊ

दिनांक 04.01.19 की मूल न्यायालय में उदासीन एवं सत्यापित किया गया।

17-1-19  
19-1-19  
19-1-19

(सूचीकाया विभागी)

उप जिलाधिकारी / जसिस्ट कलेक्टर - प्रथम श्रेणी  
पी०के०डी० लखनऊ

17-1-19  
19-1-19  
19-1-19

7-00  
560 (संख्या)

सूचीकाया विभागी

पत्रावली सं० 1422-1427/80



महानगर, लखनऊ, जनपद: लखनऊ, तहसील: बछी का तालाब

न्यायपालना उपनिर्वाहिकारी

वाट संख्या: 03743/2019

जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट

बनाम

उपरोक्त सरकार

कंप्यूटराइज्ड वाट संख्या: 7201910460403743

अंतर्गत धारा: 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि: 11/04/2019

अंतिम आदेश

निर्णय

परस्तुत वाट कारवली वाली जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय के धारणा पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी जिसमें कहा गया है कि प्रस्तुत भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ का प्राचीन सार्वजनिक भूमिधर मालिक कब्रिज व दधील है। उक्त भूमि पर कोई उर्बा से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुककूट पालन, मत्स्य पालन आदि का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उक्त भूमि बन्द, हिजा बंधक इत्यादि नहीं है, एवं समस्त प्रकार के शरी से बरी पाक स्थान है। उक्त भूमि पर वर्तमान समय में आवासीय प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि को आवासीय घोषित करना चाहता है। अंत में उक्त खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ को गैर कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक घोषित करने की प्रार्थना की गई है।

संलग्न धारणा पत्र की प्राविधानी के अन्तगत तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ पर जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय का नाम सार्वजनिक भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर बागवानी, कुककूट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि के जल-पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं। उपरोक्त भूमि की पैमाइश धारा 80 के नियम 85 के अन्तर्गत मू० 23,420/- (तेइस हजार चार सौ बीस मात्र) व स्टैम्प शुल्क मू० 23,420/- (तेइस हजार चार सौ बीस मात्र) राजकीय कोष में जमा कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः उक्त भूमि को धारा 80, 30990 राजस्व संहिता- 2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या घोषित की है।

निर्णयानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ/सरकार को नोटिश जारी की गयी जो वाट तहसील संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उनके द्वारा कोई आपत्ति दायित्व की गयी है।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार, बछी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ पर जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय का नाम सार्वजनिक भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रस्तुत भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्राचीन द्वारा साक्ष्य के तौर पर चालान धारम की मूल प्रति रु० 23,420/- व मू० 23,420/- स्टैम्प शुल्क, फोटोसाफ, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। तथा आकार पत्र 41 व 45 प्रस्तुत किये हैं।


अतः भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 स्थित राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जनपद लखनऊ पर वाली जान चन्द्र वैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 11/191 विकासनगर लखनऊ द्वारा संस्थापक राघवेंद्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्वः चन्द्र प्रकाश पाण्डेय का नाम संभू० के रूप में दर्ज है, जो राजस्व संहिता की धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जना उचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है। परस्तु भू-उपयोगिता की विधिमाम्यता के सम्बन्ध में लखनऊ न्यायपालना 2021 के उपबन्ध प्रभावी होने, जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं शहरी नियोजन विभाग से है।

आदेश

अतः राम कठवारा परगना महोना तहसील बछी का तालाब जिला लखनऊ की खर्तनी फसली 1422-1427फ० भूमि खाता सं० 643 गाटा सं० 1840 रकबा 0.37980 मातमजारी 60ख से मुक्त करते हुये प्रस्तुत भूमि कृषि मत्स्यपालन, कुककूटपालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किये जाने के कारण राजस्व संहिता की धारा 80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्यपालन,

५

बुनसुटपासन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो राजस्व संहिता की धारा 82 राजस्व संहिता के अन्तर्गत लक्ष्मण लहरीबदार अपनी आज्ञा प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिनिधि लहरीबदार बीएफटीओ के कार्यालय में तदनुसार प्रेषित हेतु प्रेषित हो तथा एक सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित की इसे निबन्धित कर इस आदेश का अनुलेख निषिद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक व प्रिंसिपलबन्ध रजिस्ट्रार संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। यदि आवश्यक कार्यवाही पचावली दक्षिण दफ्तर हो।  
दिनांक:

  
(प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी)  
उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर-प्रथम श्रेणी  
बीएफटीओ लखनऊ